



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-13/2017- 1065 दिनांक : 18.08.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
वन्यप्राणी प्रमंडल, राँची ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन प्रबंधन सुविधायें" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नियोजित दैनिक मजदूरों की मजदूरी भुगतान हेतु कुल **रु0 2,15,186/- (दो लाख पन्द्रह हजार एक सौ छियासी रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-21/2017-16/स्वी0 व0प0 दिनांक 26.05.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-21/2017-52/आ0 व0प0 दिनांक 31.05.2017 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-920 दिनांक-20.07.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा वन्यप्राणी प्रमंडल, राँची को पूर्व में 44 दैनिक वेतनभोगियों के लिए **4482359/- रु0 (चौवालीस लाख बेरासी हजार तीन सौ उनसठ रुपये)** का उप-आवंटन किया गया था। इसके अतिरिक्त वर्तमान में 3 दैनिक वेतनभोगियों के लिए मजदूरी मद में **2,15,186/- (दो लाख पन्द्रह हजार एक सौ छियासी रुपये)** का उप-आवंटन की जा रही है।

2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 एवं ऑन-लाईन उप-आवंटन की प्रति अनुलग्नक-2 के रूप में द्रष्टव्य है।

3. पूर्व उप-आवंटित राशि के यह अतिरिक्त उप-आवंटन है। पूर्व उप-आवंटन के सभी शीर्ष एवं शर्त यथावत रहेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची ।

झापांक- 01/यो0बजट-13/2017- 1065 दिनांक- 18.08.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची/इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-13/2017- 1065 दिनांक- 18.08.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य अतिरिक्त सहायक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “वन प्रबंधन सुविधाएं योजना” (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत प्रमण्डलवार/कार्यालयवार कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों को भुगतान हेतु उप-आवंटित राशि

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	दैनिक वेतनभोगियों की संख्या	प्राक्कलित राशि
i	ii	iii	v
1	वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची	3	215186
	योग :-	3	215186

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

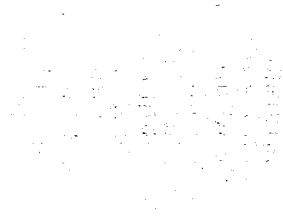
झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-13/2017/1065

दिनांक - 18-Aug-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA	56491	DRNFWL049 KAMLESH PANDEY. IFS DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	215,186.00 रुपये दो लाख पंद्रह हजार एक सौ छियासी



योग:

215,186.00

क्रमिक योग:

रुपये दो लाख पंद्रह हजार एक सौ छियासी

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. SECRETARY (NARS) RANCHI